उत्तर प्रदेश शासन,
सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2
संख्या 618/चौवालिस-2/1995
लखनऊ: दिनांक: 19 मई, 1995

कार्यालय–ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या 2330/44-2-80/90/92 दिनांक 21 दिसम्बर, 1992 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के रूग्ण सार्वजनिक उद्यमों/निगमों को संयुक्त क्षेत्र में परिवर्तित करने अथवा उनका संचालन निजी क्षेत्र के उद्यमियों से कराये जाने के सम्बन्ध में उनके नियंत्रक प्रशासनिक विभागों द्वारा गठित समितियों की संस्तुतियों को अन्तिम रूप देने हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित निजीकरण समिति को तत्कालिक प्रभाव से भंग करते हुए निम्नलिखित व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है।

(1) निगमों/उपक्रमों के निजीकरण की समस्त कार्यवाही अब सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के स्तर पर गठित समितियों द्वारा ही की जावेगी जिसमें सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा वित्त विभाग के प्रतिनिधियों को भी नामित किया जायेगा।

(2) प्रशासनिक विभाग द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों को अन्तिम रूप देने के लिए मंत्रि–परिषद् के आदेशार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व मुख्य सचिव के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

2- उक्त सीमा तक सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21-12-92 को संशोधित समझा जाय।

[आर०एस० माथुर]
प्रमुख सचिव।

संख्या–618(1) चौवालिस-2/95 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित शासन के प्रमुख सचिव/सचिव
(2) प्रमुख सचिव, ऊर्जा, वित्त विभाग।
(3) सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग।
(4) मुख्य महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, लखनऊ।
(5) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1।
(6) नियुक्ति अनुभाग–1।

आज्ञा से,
[देवी प्रसाद साह]
अनु सचिव।